भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2337

18.12.2023 को उत्तर के लिए

समुद्री प्रजातियों का संरक्षण

2337. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री दुर्गा दास उइके :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री बी. वाई राघवेंद्र :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. सुजय विखे पाटील :
श्री जगदम्बिका पाल :
डॉ. रीता बहुगुणा जोशी :
डॉ. कृष्णपालसिंह यादव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और
(ग) मछली पकड़ने वाले परित्यक जाल और जहाज के मोटरों के साथ टक्कर, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, के कारण होने वाले समुद्री प्रजातियों की मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने तटीय राज्यों और द्वीपसमूहों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किए हैं; इसके अलावा, समुद्री प्रजातियों के संरक्षण की देखरेख के लिए महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव-विविधता क्षेत्रों (आईसीएमबीए) के रूप में 106 तटीय और समुद्रीय स्थलों को अभिज्ञात किया गया है और उन्हें प्राथमिकता दी गई है।

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में कई लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों को अनुसूचित जानवरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में, भारत सरकार ने वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (आईडीडब्ल्यूएच) योजना के तहत देश भर में समुद्री प्रजातियो की संख्या के आकलन और उनकी निगरानी के लिए समुद्री कछुए (सभी 5 प्रजातियां), हम्पबैक ह्वेल और डुगोंग जैसी कुछ दुर्लभ और

लुप्तप्राय प्रजातियों को प्राथमिकता प्रदान की है। संकटग्रस्त प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम (ईएसआरपी) के तहत, समुद्री स्तनपायी डुगोंग पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें डुगोंग और उसके पर्यावास के संरक्षण की दिशा में देशव्यापी प्रयास किए जा रहे हैं और 'पाक बे' में डुगोंगों और समुद्री घास से संबद्ध समुद्री प्रजातियों के संरक्षण हेतु लगभग 450 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को डुगोंग संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है।

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्ययोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारत में समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षित करना है। इसके अलावा, डॉल्फिन परियोजना के तहत, मंत्रालय प्रजातियों की निगरानी और समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण हेतु समुद्री डॉल्फिनों को शामिल कर रहा है। साथ ही, आईडीडब्ल्यूएच या संकटग्रस्त प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम के तहत समुद्री गैर-रीढ़धारी जंतुओं सहित और प्रजातियों को संख्या की निगरानी/ रिकवरी हेतु जोड़ा जाएगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीके, प्रवालों और प्रवाल भित्तियों, जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैट, कछुए के आवास क्षेत्र और हॉर्स शू क्रैब के पर्यावासों सहित पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है और संवेदनशील तटीय पारितंत्रों में विकास संबंधी कार्यकलापों तथा अपशिष्टों के निपटान को प्रतिबंधित किया गया है।

यथा संशोधित भारतीय जैव-विविधता अधिनियम, 2002 और जैव-विविधता नियम, 2004 तथा उनके तहत जारी दिशानिर्देशों में जैव-विविधता (समुद्री प्रजातियों सहित) की सुरक्षा और संरक्षण,, उसके घटकों का संधारणीय उपयोग एवं समान साझेदारी, बौद्धिक संपदा अधिकारों आदि को सुनिश्चित किया गया है।

देश में समुद्रीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रवालों और मैंग्रोव के संरक्षण हेतु तटीय राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।
ii. डॉल्फिन परियोजना, समुद्री और नदीय दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण हेतु वर्ष 2021 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
iii. भारत में डुगोंगों, जिनकी संख्या घट रही है, के संरक्षण प्रबंधन हेतु, भारत सरकार के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'डुगोंगों के संरक्षण हेतु कार्यबल' का गठन किया जिसका उद्देश्य डुगोंगों से संरक्षण से संबंधित समस्त मुद्दों की जांच करने और भारत में 'यूएनईपी/सीएमएस डुगोंग समझौता ज्ञापन' को कार्यान्वित करने के साथ-साथ डुगोंग संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उप-क्षेत्र में देश को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने में सुविधा प्रदान करना है।
iv. मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत भारत में डुगोंगों और उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

v. मंत्रालय, अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित वन्यजीव पर्यावासों का विकास (आईडीडब्ल्यूएच) योजना के तहत समुद्री कछुओं, समुद्री डाल्फिनों और हम्प बैक ह्वेल की निगरानी और संरक्षण को वित्तपोषित करता है।

vi. समुद्री जैव-संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र (सीएमएलआरई), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, को पारितंत्र की गिनरानी और मॉडलिंग कार्यकलापों के जरिए समुद्री जैव-संसाधनों हेतु प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है। 24 वर्षों के सर्वेक्षण अध्ययनों के आधार पर, इसने संरक्षण हेतु हॉटस्पॉटों सहित भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर जैव-विविधता के पहलुओं के संबंध में व्यापक जानकारी बेस सृजित किया गया है।

vii. सीएमएलआरई, लक्षद्वीप समूह के मछुआरा समुदायों के सहयोग हेतु सामाजिक सेवा संबंधी पहले से निर्धारित घटक के साथ समुद्री जैव-संसाधनों (एमएलआर) के संबंध में एक राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। सामाजिक सेवा पहल का उद्देश्य समुद्र में रंग-बिरंगी मछलियों और बेटफिश की संख्या को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत, सीएमएलआरई ने ''लक्षद्वीप द्वीपसमूह में समुद्री रंगबिरंगी मछलियों के प्रजनन और पालन'' के संबंध में कई प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

viii. सरकार द्वारा उन अनुसंधान परियोजनाओं, जिनका उद्देश्य समुद्री प्रजातियों का संरक्षण है, के माध्यम से विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में समुद्री जीवों के भटकने और जाल में फसने की घटनाओं दौरान की जाने वाली कार्रवाई हेतु तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने और इन घटनाओं का बेहतर प्रबंधन करने हेतु 'मैरीन मेगाफाउना स्ट्रैन्डिंग प्रबंधन दिशानिर्देश' जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, समुद्री जानवारों की 'नेक्रोप्सी' के जरिए जानवरों के भटकने और उनकी मौत का कारण जानने हेतु राज्य वन विभाग के दल तैनात किए गए हैं। स्थानीय समुदाय, मछुआरों और अन्य हितधारकों को परित्यक्त जालों और जहाजों से समुद्री प्रजातियों से टकराने के प्रभाव के विषय में शिक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान संचालित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। कछुए के बाई-कैच को रोकने हेतु मछली पकड़ने के क्षेत्रों में टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस (टीईडी) संस्थापित किया गया है।

*****